



## इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक 44/प्र0अ0-भवन/जोन-1/2011-12 दिनांक 21/09/2012

### अनुमति-पत्र

यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूनि के सम्बन्ध में जिस पर व्यवसायिक/कार्यालय भवन मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के भौतिकत्व या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री पीयूष अग्रवाल पुत्र स्व० सत्य नारायण अग्रवाल विकासकर्ता श्री संजीव अग्रवाल, एम0डी0 मॉ ललिता इन्टरटेनमेंट एण्ड डेवलपर्स प्रा0लि0 स्थल नजूल फी होल्ड भूखण्ड संख्या-A/2/B सिविल स्टेशन, इलाहाबाद जोन संख्या (1) के अन्तर्गत व्यवसायिक/कार्यालय भवन के निर्माण की अनुमति हेतु पेशेवर मानचित्र के प्रस्तावित भाग पर निर्माण की अनुमति निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

- उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 152 (1) के प्रावधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा। भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या 2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
- यह स्वीकृति अनन्तरिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इरा नरिसार का वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
- स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी दिवरण अंकित किया जायेगा।
- स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- स्थल पर 15 वृक्ष लगाने होंगे तथा वृक्षों को हरा भरा रखने का दायित्व निर्माण/विकासकर्ता का होगा।
- पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पूर्व विद्युत सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जायेगा।
- वर्षा जल संवयन प्रणाली मानक के अनुसार पूर्ण कराते हुए भू-गर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- स्थल पर आन्तरिक विकास कर्ज प्रस्तावना के अनुसार पूर्ण करते हुए पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा, इस हेतु यदि वाढ्य विकास शुल्क में कोई बदौत्तरी होती है तो उसका भुगतान आवेदक/विकासकर्ता को वहन करना होगा।
- मुख्य शक्ति शानन अधिकारी की अनापत्ति दिनांक 13.08.2012 में अंकित प्रतिबन्धों का अनुपालन करना होगा तथा पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पूर्व अन्तिम शाननपत्ति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- नगर आधुनिक, नगर नियम इलाहाबाद की अनापत्ति दिनांक 25.08.2012 में अंकित प्रतिबन्धों जो मुख्यतः निम्नवत् है का अंशरश अनुपालन करना होगा :-
  - भवन निर्माण के समय नगर नियम की अवस्थपना सुविधाओं की धरि नही होगी चडिह, यदि अवस्थपना सुविधा की कोई धरि होती है तो उसका नव निर्माण/मरम्मत कार्य आवेदक/विकासकर्ता को करना होगा।
  - स्थल पर जल निकासी का समुचित प्रबन्ध करना होगा।







Received Sanction Map

1 Set and Permit letter

9389458329

Continued








TYPICAL WINDOW DETAIL  
W = 5.50m x 1.00m  
V = 0.60m x 1.00m  
DW = 0.20m x 1.2.00m

SECRETARIAT  
This map is prepared as per Shauhin  
updtih 2008 & master plan 2021  
4-13-09 Comp. 2008/11/11  
AAKSHTI ARCHITECTS  
Architects & engineers  
Attabhad, Ph. 2260533  
9781936015  
9781936015  
9781936015

ARCHITECT  
AAKSHTI ARCHITECTS  
OWNERS SIGN  
SCALE = 1:100  
SHEET NO. 1





**AREA CHART**

S.N.	REFERENCE	50.0 MET	50.0 MET	50.0 MET	50.0 MET	50.0 MET
1.	TOTAL AREA OF PLOT	2539.00 SQ. MET.				
2.	NET PLOT AREA	2142.40 SQ. MET.				
3.	COVERED AREA ON LOWER BASEMENT FLOOR	858.00 SQ. MET.				
4.	COVERED AREA ON UPPER BASEMENT FLOOR	182.40 SQ. MET.				
5.	COVERED AREA ON GROUND FLOOR (SHOP)	750.00 SQ. MET.				
6.	COVERED AREA ON FIRST FLOOR	660.00 SQ. MET.				
7.	COVERED AREA ON SECOND FLOOR	660.00 SQ. MET.				
8.	COVERED AREA ON THIRD FLOOR	660.00 SQ. MET.				
9.	COVERED AREA ON ALL FLOOR	3300.00 SQ. MET.				
10.	REQUIRED PARKING AREA	1.00 SQ. MET.				

**OFFICE**

Total Covered Area 660.00 sq. Car space / 100 sq. mt  
 Covered Area 22.00  
 Covered Area 22.00  
 PROVIDED PARKING OF CAR = 66.75 (CAR GAR)  
 IN LOWER BASEMENT THROUGHOUT 732 SQ. MET. = 37.10 CAR  
 IN UPPER BASEMENT THROUGHOUT 182.40 SQ. MET. = 20.76 CAR  
 IN GROUND FLOOR THROUGHOUT 750.00 SQ. MET. = 33.75 CAR  
 IN FIRST FLOOR THROUGHOUT 660.00 SQ. MET. = 28.60 CAR  
 IN SECOND FLOOR THROUGHOUT 660.00 SQ. MET. = 28.60 CAR  
 IN THIRD FLOOR THROUGHOUT 660.00 SQ. MET. = 28.60 CAR  
 TOTAL 147.82 CAR

PROPOSED COMMERCIAL BUILDING ON PLOT NO. A/2/B, CIVIL STATION ALLAHABAD

BELONGING TO:  
 Mr. PIYUSH ASARWAL

This map is prepared as per bylaws upvidhi 2008 & master plan 2021

SCALE - 1:100  
 SHEET NO - 2  
 OWNER'S SIGN

ARCHITECT SIGN

AAKRITI  
 architects & engineers  
 k-1 Prayag kumj, sector 16 and  
 allahabad, pin- 2260373

11-12  
 1159-28/12

